6. (1) प्रशासक संबंधित ग्राम साधारण निकाय अथवा ग्राम साधारण निकायों से परामर्श कर किसी भी समय सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निम्न कार्य को कर सकता है :–

(क) ग्राम में किसी क्षेत्र को सम्मिलित करना;

(ख) ग्राम से किसी क्षेत्र को अपवर्जित करना, अथवा;

(ग) घोषणा करना कि कोई स्थानीय क्षेत्र ग्राम न रहे ।

(2) जहाँ किसी क्षेत्र को उप धारा (1) के तहत शामिल किया गया हो, ऐसा क्षेत्र उसके द्वारा ग्राम साधारण निकाय के क्षेत्राधिकार के भीतर क्षेत्र में लागू किसी अन्य नियमों अथवा इस विनियम के तहत बनाए गए सभी नियमों, उप नियमों, अधिसूचनाओं और आदेशों के अध्यधीन होगा ।

(3) उप धारा (1) के तहत जहाँ –

(क) ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र ग्राम न रहे, ग्राम साधारण निकाय अस्तित्वहीन होता है और इसके आस्तियाँ और दायित्व ऐसे तरीके से जैसा निर्धारित किया जा सकता है, निपटाए जाएँ ।

(ख) ग्राम क्षेत्र का एक भाग, उस ग्राम क्षेत्र का एक भाग न रहे, ग्राम साधारण निकाय का क्षेत्राधिकार उस हद से कम किया जाए।

सदस्यता का समापन

7. (1) ग्राम साधारण निकाय का सदस्य, सदस्य नहीं रहेगा, यदि –

(क) वह धारा 4 की उप धारा (1) के तहत अयोग्य ठहरता हो;

(ख) क्षेत्र जहाँ का वह निवासी है ग्राम साधारण निकाय के क्षेत्राधिकार से अपवर्जित किया गया है ।

(2) जहाँ, कोई व्यक्ति धारा 4 की उप धारा (i) के तहत ग्राम साधारण निकाय का सदस्य नहीं रहता है, उसके सदस्य होने के कारण उनके चयनित अथवा नियुक्ति पद भी समाप्त हो जाएगी ।

सदस्यों की मतदाता सूची

8. ग्राम साधारण निकाय के गठन पर सहायक आयुक्त चुनाव आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के तहत ग्राम साधारण निकाय के क्षेत्राधिकार के भीतर साधारणतः निवास कर निकोबारी जनजातियों की मतदाता सूची उस तरीके से जैसा निर्धारित है, तैयार करवाएगा ।

बशर्ते कि ऐसी मतदाता सूची में अन्य बातों के अलावा सभी ऐसे व्यक्तियों का नाम शामिल होंगे जो उसके गठन की तारीख पर ग्राम साधारण निकाय के सदस्य होने के लिए अयोग्य न हुए हों और वित्तीय वर्ष में एक बार उस तरीके से, जैसा निर्धारित हो, संशोधित किया गया हो ।

ग्राम साधारण निकाय की बैठक

9. (1) प्रत्येक ग्राम साधारण निकाय प्रति वित्तीय वर्ष में एक बार अक्टूबर तथा नवम्बर माह में और दूसरा अप्रैल तथा मई माह में आम बैठक आयोजित करेगी ।

बशर्ते कि फर्स्ट कैप्टन की लिखित माँग पर जिसमें कुल सदस्यों की संख्या का पाँचवाँ भाग शामिल हों, ऐसी माँग की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर असाधारण आम बैठक बुलाई हो ।

(2) फर्स्ट कैप्टन अथवा उनकी अनुपस्थिति में, सैकेंड कैप्टन और दोनों की अनुपस्थिति में, ग्राम साधारण निकाय द्वारा चुना गया उसका कोई सदस्य ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(3) ग्राम साधारण निकाय की सभी बैठकों का समय और स्थान की सूचना उस तरीके से जैसा निर्धारित है, दी जाएगी ।

(4) ग्राम साधारण निकाय के कुल सदस्यों का पाँचवाँ भाग एक बैठक की गणपूर्ति करेगा ।